[2019] 14 एस. सी. आर. 716

/

[2019] 14 एस सी आर।

/

तेलंगाना राज्य

बनाम

श्री मानगीपेट @मानगीपेट सर्वेश्वर रेड्डी (2019 की आपराधिक अपील संख्या 1662)

/

06 दिसंबर, 2019

[एल**.** नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482 – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधों का आरोप लगाते हुए आरोप पत्र को रद्द करने के लिए-उच्च न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से यह मानते हुए अनुज्ञात कर लिया कि अपराध दर्ज करने के लिए कोई प्राधिकरण नहीं था और सूचना देने वाला जांच अधिकारी नहीं हो सकता था-हालांकि, अदालत ने आरोपी की याचिकाओं को अनुज्ञात नहीं किया। अपराध दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का अभाव; अभियोजन के समक्ष मंजूरी का अभाव; और जांच पूरी करने में देरी-राज्य के साथ-साथ अभियुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःप्राधिकृत अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा पुष्टि की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था-जांच अधिकारी के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया था-इसलिए ऐसा प्राधिकृत करना वैध और बाध्यकारी है जैसे कि यह एक न्यायिक अधिकारी का कार्य था-उच्च न्यायालय के पास याचिका पर निर्णय लेते समय प्राधिकृत अधिकारी के रोजगार की प्रकृति तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।482 – वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं थी और मुकदमे के दौरान मंजूरी पेश की जा सकती थी-मामला आगे की कार्यवाही के लिए निचली विचारण न्यायालय को भेजा जाता है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:

/

/

/

/

धारा 17 – गैर-अनुपालन-प्रभाव-आयोजितःयदि यू/एस द्वारा अपेक्षित रैंक और आवश्यक स्थिति के पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जाती है।17, इस तरह की चूक एक अनियमितता होगी-यदि इस तरह की अनियमितता के परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है, तो इस आधार पर दोषसिद्धि को दूषित नहीं किया जाएगा-जांच।

/

संविधानवादः

राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ-जिनका दायरा-आयोजित किया गयाःराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्य की विधायी शक्तियों के साथ समान हैं।

/

716 ए.

717

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी ए

विधानमंडल-राज्य कार्यपालिका के पास ऐसे विषय के संबंध में विनियम बनाने और सरकारी आदेश जारी करने की शक्ति है, जिस पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार क्षेत्र है।

पूछताछः

प्रारंभिक जाँच-एफ़. आई. आर. दर्ज करने से पहले की आवश्यकता-आयोजितःएफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का दायरा और दायरा, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा-इस तरह की जांच का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक जांच तुच्छ और असमर्थनीय शिकायत पर शुरू न हो-वर्तमान मामले में, चूंकि प्रासंगिक जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले प्रथम दृष्टया आरोपों के संबंध में उपलब्ध थी, इसलिए प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता नहीं थी।

/

/

अभियुक्त की अपील को खारिज करते हुए, राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** भारत के संविधान के अनुच्छेद **310** में विचार किया गया है कि स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा**,** प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या संघ के अंतर्गत रक्षा या किसी नागरिक पद से जुड़ा कोई पद रखता है**,** राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है।हालाँकि**,** राज्य सेवाओं के संबंध में**,** वह राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करता है।वर्तमान मामले में**,** भारत के संविधान के अनुच्छेद **162** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा 'के' को एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था।किसी भी सेवा नियम में कोई निषेध नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो कभी केंद्र या राज्य की सिविल सेवा में था।**[**पैरा **10] [727-**डी**-**एफ**]**

/

/

/

1.2 संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची **II** की प्रविष्टि **2** 'पुलिस' **(**रेलवे और ग्राम पुलिस सहित**)** है**,** जो सूची **I** की प्रविष्टि **2** ए के प्रावधानों के अधीन है। इसलिए**,** राज्य में पुलिसिंग के विभिन्न पहलू राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं और एक सेवानिवृत्त कर्मी की पुनर्नियुक्ति जो भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य था**,** राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है।एक पुनर्नियुक्त अधिकारी के रूप में**,** वह एक सिविल पद पर थे क्योंकि उनका वेतन राज्य के राजकोष से दिया जा रहा था।वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे।**[**पैरा **11] [727-**जी**-**एच**]**

/

/

1.3 राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ समान है अर्थात यदि राज्य विधानमंडल के पास किसी विषय के संबंध में विधि बनाने का अधिकार क्षेत्र है**,** तो राज्य कार्यपालिका विनियम बना सकती है और इसके संबंध में सरकारी आदेश जारी कर सकती है।राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता है यदि यह संविधान या किसी विधि के प्रावधानों के खिलाफ नहीं है।**[**पारस **12** और **13] [728-**ए**-**बी**-**ई**-**एफ**]**

/

पी. एच. पॉल मनोज पांडियन बनाम पी. वेलदुराई **(2011) 5** एस. सी. सी. **214: [2011] 5** एससीआर **254;** बिशंभर दयाल चंद्र मोहन और अन्य बनामउत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **(1982)**

/

1 एससीसी **39:[1982] 1** एस. सी. आर. **1137-**पर निर्भर।

1.4 'के 'को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू में एक साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था।उन्हें पहली बार किसी सिविल पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा था जो संविधान के अनुच्छेद **16** के कठोर अनुपालन की गारंटी दे सकता है।जब उन्हें नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले उन्होंने सभी पुलों को पार कर लिया था।राज्य द्वारा इस तरह का पुनर्नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद **162** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग है।राज्य की ऐसी कार्यकारी शक्तियाँ किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती हैं**;** इसलिए**,** इस संबंध में पुनः नियोजन वैधानिक नियमों और विनियमों का पूरक है और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करता है।इसलिए**,** 'के' ने राज्य सरकार द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन किया है।**[**पैरा **14] [729-**डी**-**ई**]**

/

/

1.5 इसके अलावा**,** 'के'**,** भ्रष्टाचार**-**रोधी ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सार्वजनिक हित में कल्पित आधिकारिक प्राधिकरण के दायरे में था**,** न कि अपने लाभ के लिए।इसलिए**,** अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यों को वैध माना जाएगा।'एस' के पक्ष में प्राधिकरण तब जारी किया गया था जब 'के' अपने कर्तव्यों का पालन जनहित में कर रहा था न कि अपने लाभ के लिए।तथापि**,** इस तरह का प्राधिकरण वैध और बाध्यकारी है जैसे कि यह एक न्यायिक अधिकारी का कार्य था।**[**पारस **15** और **21] [729-**एफ**-**जी**; 735-**ए**-**बी**]**

/

/

गोकाराजू रंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

(1981) 3 एससीसी 132:[1981] 3 एससीआर 474; पुष्पदेवी

/

एम. जटिया बनाम एम. एल. वधावन, अपर सचिव, ए.

भारत सरकार और अन्य। **(1987) 3** एससीसी **367:[1987] 3** एससीआर **46;** विरेंद्र कुमार गौतम और ओआरएस**.** वी**.**करुणा निधान उपाध्याय और अन्य। **(2016) 14** एससीसी

18 :[2016] 7 एस**.** सी**.** आर**. 223-**निर्भर।

पुलिन बिहारी दास बनाम राजा सम्राट **(1911)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन कैल **159;** पी**.** एस**.** मेननव।केरल राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1970** केर **165;** पी**.** महामनी बनाम तमिलनाडु मैग्नेसाइट लिमिटेड**,**

/

सलेम और ओआरएस। **(1993) 2** एल**.** एल**.** एन**. 353-**संदर्भित।

1.6 उच्च न्यायालय **, Cr.P.C** की धारा **482** के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका पर निर्णय लेते समय 'के' के रोजगार की प्रकृति पर टिप्पणी नहीं कर सकता था**,** क्योंकि ऐसा प्रश्न उपरोक्त याचिका पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।**[**पैरा **22] [735-**बी**-**सी**]**

/

1.7 ‘के 'ने' एस 'को अधिकृत किया था और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **17** के खंड **(**सी**)** के संदर्भ में एस द्वारा की गई जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी। इस संबंध में**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच उस तरीके से नहीं की गई थी जिस पर विधि के अंतर्गत विचार किया गया था।इस प्रकार**,** 'एस' एक अधिकृत अधिकारी था**,** जो अधिनियम की धारा **13 (1) (**ई**)** के अंतर्गत अपराध सहित अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच करने और रिपोर्ट दायर करने में सक्षम था। **[**पैरा **23] [735-**सी**-**डी**]**

/

/

1.8 उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि सूचना देने वाला जांच अधिकारी नहीं हो सकता है**,** 'एस' सूचना देने वाला और जांच शुरू करने वाला दोनों होने के नाते इस पर आधारित है **-**

***** मोहन लाल मामला।वरिंदर कुमार मामले में**,** मोहन लाल मामले में

संभावित प्रभाव के लिए अभिनिर्धारित किया गया था इसलिए**,** वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।**[**पैरा **24] [735-**ई**]**

/

*मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य **(2018) 17** एससीसी **627:**

[2018] 9 एस**.** सी**.** आर**. 1006-**लागू नहीं होता।

वरिदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य **(2019)

एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 170-**पर निर्भर था।

/

1.9 इस प्रकार**,** अभियुक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पोषणीय नहीं हैं और परिणामस्वरूप**,** उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है।तदनुसार**,** राज्य द्वारा दायर अपील को अनुज्ञात जाती है और मामले को विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए निचली विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।**[**पैरा **26] [736-**बी**]**

/

720 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 14 एस. सी. आर.

संघ लोक सेवा आयुक्त बनाम गिरीश जयंती

लाल वाघेला और अन्य। (2006) 2 एससीसी 482:[2006] 1 एससीआर 1006-विशिष्ट।

2.1 एफ**.** आई**.** आर**.** दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का दायरा और दायरा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।कोई निर्धारित प्रारूप या तरीका नहीं है जिसमें प्रारंभिक जांच की जानी है।इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि एक तुच्छ और असमर्थनीय शिकायत पर आपराधिक जांच प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए।**[**पैरा **32] [739-**सी**]**

/

2.2 वर्तमान मामले में**,** एफ़**.** आई**.** आर**.** से ही पता चलता है कि एकत्र की गई जानकारी अभियुक्त अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति के संबंध में थी।प्रारंभिक जाँच का उद्देश्य निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए तुच्छ और प्रेरित शिकायतों की जाँच करना है। इसमें**,** एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले प्रथम दृष्टया आरोपों के संबंध में सूचना देने वाले के पास प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध थी।इसलिए**,** एक बार जब प्राथमिकी दर्ज करने वाला अधिकारी इस तरह के प्रकटीकरण से संतुष्ट हो जाता है**,** तो वह आरोपी के खिलाफ बिना किसी जांच के या उसके द्वारा प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर किसी अन्य तरीके से भी आगे बढ़ सकता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रारंभिक जांच न किए जाने के कारण प्राथमिकी रद्द की जा सकती है।ऐसा तभी किया जा सकता है जब एफ**.** आई**.** आर**.** की

संपूर्णता को पढ़ने पर, किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है।[पैरा **33] [739-**डी**-**एफ**]**

/

/

/

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल **(1992) 1** सप।एससीसी

335 :[1990] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 259-**पर निर्भर।

/

2.3 इसलिए, ललिता कुमारी मामले में आवश्यक प्रारंभिक जांच भ्रष्टाचार के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।किस प्रकार की प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।ऐसे कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं जिन पर इस तरह की जांच की जा सकती है।इसलिए, एफ**.** आई**.** आर**.** दर्ज करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के लिए संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी का कोई भी औपचारिक और अनौपचारिक संग्रह पर्याप्त है।[पैरा **34] [740-**ए**-**बी**]**

/

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य।

(2014) 2 एससीसी **1:[2013] 14** एस**.** सी**.** आर**. 713-**निर्भर।

/

721

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी ए

/

कर्नाटक लोकायुक्ता पुलिस थाना, बेंगलुरु बनाम एम. आर. हीरेमथ (2019) 7 एस. सी. सी. 515 -

प्रतिष्ठित।

3.1 इस तर्क में भी कोई दम नहीं है कि रिपोर्ट दाखिल करने से पहले कोई मंजूरी नहीं दी गई है।अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान मंजूरी प्रस्तुत की जा सकती है, इसलिए अभियुक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है।यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त अधिकारी, एक सेवानिवृत्त लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की

आवश्यकता है**,** एक ऐसा प्रश्न है जिसकी सुनवाई के दौरान जांच की जा सकती है।**[**पारस **35** और **36] [740-**सी**-**ई**-**एफ**]**

/

/

डी**.** एस**.** पी**.** द्वारा के**.** कलिमुथु बनाम राज्य **(2005) 4** एस**.** सी**.** सी**. 512:**

[2005] 3 एस**.** सी**.** आर**. 1-**पर निर्भर।

3.2 यदि अधिनियम की धारा **17** के अंतर्गत आवश्यक रैंक और स्थिति के एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी**,** तो ऐसी चूक एक अनियमितता होगी**,** हालांकि जब तक कि इस तरह की अनियमितता के परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है**,** तब तक दोषसिद्धि दूषित नहीं होगी या विधि में खराब नहीं होगी।इसलिए**,** मंजूरी की कमी को कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं पाया गया।**[**पैरा **36] [740-**एफ**-**जी**]**

/

/

विनोद कुमार गर्ग बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) [2020] 2 एस. सी. सी. 88-आश्रित

पर।

4. यह तर्क देना सही नहीं है कि **2018** के अधिनियम **XVI** द्वारा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संशोधित प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होंगे**,** क्योंकि संशोधन अधिनियम आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लागू हुआ था।वर्तमान मामले में**,** वर्ष **2018** में अधिनियम में संशोधन से बहुत पहले **9** नवंबर**, 2011** को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।**26** जुलाई**, 2018** को किए गए संशोधन से पहले कानून के प्रावधानों के आलोक में कोई अपराध किया गया है या नहीं**,** इसकी जांच की जानी चाहिए।**[**पैरा **37] [741-**बी**-**सी**]**

/

/

संदर्भित निर्णय

[2006] 1 एससीआर **1006**

विशिष्ट पैरा **8**

[2011] 5 एससीआर **254**

पर विश्वास किया

पैरा **12**

/

722 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 14 एस. सी. आर.

[1982] 1 एससीआर **1137**

पर विश्वास किया

पैरा **13**

[1981] 3 एससीआर **474**

पर विश्वास किया

पैरा **15**

(1911) एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन कैल **159** पैरा **16 [1987] 3** एस**.** सी**.** आर**. 46** को संदर्भित करता है।

पर विश्वास किया

पैरा **17**

/

एयर **1970** केर **165**

संदर्भित

पैरा **18**

(1993) 2 एलएलएन **353**

संदर्भित

पैरा **19**

पर विश्वास किया

पैरा **20**

[2016] 7 एससीआर **223**

[2018] 9 एससीआर **1006**

अप्रयोज्य पैरा **24 (2019)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 170** पैरा **25 [2013] 14** एस**.** सी**.** आर**. 713** पर निर्भर था

/

पर विश्वास किया

पैरा **27**

(2019) 7 एस**.** सी**.** सी**. 515**

विशिष्ट पैरा **27 [1990] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 259** पैरा **33 [2005] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1** पर निर्भर था।

/

पर विश्वास किया

पैरा **35**

[2020] 2 एससीसी **88**

पर विश्वास किया

पैरा **36**

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2019 की आपराधिक अपील संख्या 1662।

/

2018 की आपराधिक याचिका संख्या 12485 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.12.2018 से

2019 की आपराधिक अपील संख्या 1663।

/

गुरुकृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीधर पोटाराजू, पी. अनंत नागेश्वर राव, सुश्री श्वेता परिहार, सुश्री शिवानी तुशीर, सुश्री जी. उषाश्री, टी. विष्णु मेनन, सुश्री बीना माधवन, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री स्वाति भारद्वाज, अधिवक्ता।उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1. हैदराबाद के उच्च न्यायालय द्वारा 24 दिसंबर, 2018 को पारित आदेश वर्तमान अपीलों में चुनौती का विषय है, एक राज्य द्वारा और दूसरी अभियुक्त अधिकारी द्वारा।

/

723

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

/

2. उच्च न्यायालय ने अपराध संख्या 28/ए. सी. बी.-सी. आई. यू.-एच. वाई. डी./2011 दिनांक 9 नवंबर, 2011 से उत्पन्न कार्यवाही के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत अभियुक्त अधिकारी द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से अनुज्ञात कर लिया।

3. इस तरह की प्राथमिकी सीएच द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज की गई थी। सुधाकर, पुलिस उपाधीक्षक 2 सुबह लगभग 10 बजे।एफ़. आई. आर. इस प्रकार हैः

/

“विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होने पर कि श्री। मानागिपेट @मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी एस/ओ।स्वर्गीय नरसिम्हा रेड्डी, आयु 51 वर्ष, ओ. सी.:ओएसडी, रंग रेड्डी जिला, विकाराबाद आर/ओ फ़्लैट नंबर 401, वेंकटाद्री अपार्टमेंट, एचपीसीएल पेट्रोल पंप के पीछे, गाचीबोवली, हैदराबाद चिलकाटोनीपल्ली (वी) वेल्तूर (डाक), वानापर्थी मुख्यालय, महबूबनगर जिले के मूल निवासी हैं। एस. ओ. <आई. डी. 2 पर पुलिस उपनिरीक्षक के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हुए और <आई. डी. 1 पर पुलिस निरीक्षक के रूप में पदोन्नत हुए। सुपदी।वर्ष 2007 में पुलिस की। उन्होंने रायदुर्गम, हयातनगर, मलकाजीगिरी में एस. आई. के रूप में, नलगोंडा जिले के हुजुरनगर में सर्कल इंस्पेक्टर के रूप में, नरसिंगी, उप्पल, साइबराबाद आयुक्तालय के राजेंद्रनगर, आर. आर. जिले में ए. सी. पी., राजेंद्रनगर के रूप में लगभग 4 वर्षों तक काम किया और वर्तमान में ओ. एस. डी., रंगा रेड्डी जिला, विकाराबाद के रूप में काम कर रहे हैं।

/

/

/

अपनी सेवा के दौरान उन्होंने छह बहुमंजिला इमारतें, एक बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर, हैदराबाद, रंगा रेड्डी और महबूबनगर जिलों में 27 भूखंड और 26 एकड़ जमीन और एक स्कॉर्पियो कार, एक हुंडई वर्ना कार और मारुति कार का अधिग्रहण किया, जिनकी कीमत रु।

/

ए. ओ. और उनके परिवार के सदस्यों की आय के सभी ज्ञात स्रोतों से होने वाली संभावित आय जब मोटे तौर पर गणना की जाती है तो यह Rs.60,00,000/- होगी।घरेलू खर्च और बच्चों की शिक्षा पर खर्च सहित आरोपी अधिकारी का संभावित खर्च अस्थायी रूप से Rs.23,00,000/- अनुमानित है।अभियुक्त अधिकारी की संभावित बचत Rs.37,00,000/- है, यानी रुपये की संभावित आय। 60,00,000-Rs.23,00,000/- के संभावित व्यय को घटाकर।

/

1 संक्षेप में, 'कोड' 2, संक्षेप में 'डीएसपी'

/

724

/

[2019] 14 एस सी आर।

Rs.37,00,000/- की संभावित बचत के मुकाबले अभियुक्त अधिकारी ने लगभग रु. 3,55,61,500/- की संपत्ति अर्जित की है।इस प्रकार, ए. ओ. के पास ₹1,500/- की संपत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक है, जिसके लिए वह संतोषजनक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता है और इस प्रकार उसने पी. सी. अधिनियम 1988 की धारा 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के तहत दंडनीय अपराध किया है।

/

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की उपरोक्त आधिकारिक यू/एस 13 (2) आर/डब्ल्यू 13 (1) (ई) के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की गई है।

इसलिए, एफ़. आई. आर. "।

/

4. जांच पूरी होने पर 9 अक्टूबर, 2017 को आरोप पत्र दायर किया गया था।रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त अधिकारी के पास कथित रूप से आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक 500/- रुपये की संपत्ति थी।उनकी बचत की तुलना में संपत्ति की कुल कीमत लगभग रु. Rs.37,500/- पाई गई।जाँच के दौरान 114 गवाहों से पूछताछ की गई।च. सुधाकर, डी. एस. पी., सी. आई. यू., ए. सी. बी., हैदराबाद और पाँच और जाँच अधिकारियों ने जाँच की और अंतिम रिपोर्ट तैयार की।

/

5. उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र को रद्द करने के लिए एक याचिका में कहा कि अपराध दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है और सूचना देने वाला जांच अधिकारी नहीं हो सकता है और इस प्रकार, उसे रद्द कर दिया।राज्य उक्त दो निष्कर्षों के खिलाफ व्यथित है, जबकि अभियुक्त अधिकारी ने उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों को चुनौती दी है जो आरोप पत्र को रद्द करने की मांग में उनके द्वारा दबाए गए आधारों को स्वीकार नहीं करते हैं-कि अपराध दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं है; कि कोई मंजूरी नहीं है और जांच पूरी करने में देरी हुई है जिससे अभियुक्त अधिकारी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

/

/

6. राज्य की विद्वान वकील सुश्री बीना माधवन ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त अधिकारी 19 सितंबर, 1985 को उप निरीक्षक के रूप में शामिल हुए और 4 अप्रैल, 1997 को उन्हें निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया।उन्हें वर्ष 2007 में डीएसपी के रूप में पदोन्नत किया गया था।दाखिल एफ. आई. आर. के अनुसरण में, अंतिम रिपोर्ट का मसौदा 30 अप्रैल, 2015 को तैयार किया गया था, लेकिन अभियुक्त अधिकारी के 31 मई, 2017 को सेवानिवृत्त होने के बाद इसे 9 अक्टूबर, 2017 को प्रस्तुत किया गया था।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 3

/

3 संक्षेप में, 'एक्ट' ए

/

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

अधिनियम के अंतर्गत मामलों की जांच से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक के पद से कम का पुलिस अधिकारी भी ऐसे किसी अपराध की जांच कर सकता है।अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के अंतर्गत किसी अपराध की जांच पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जा सकती है।अधिनियम की धारा 17 निम्नानुसार हैः

/

“17. जाँच के लिए अधिकृत व्यक्ति।—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, रैंक से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी, -

ए) एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

/

ख) एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

ग) अन्यत्र, पुलिस उपाधीक्षक या समकक्ष रैंक का पुलिस अधिकारी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध की जांच करेगा, या बिना वारंट के उसके लिए कोई गिरफ्तारी करेगाः

/

बशर्ते कि यदि पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो वह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी ऐसे किसी अपराध की जांच कर सकता है या वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता हैः

/

बशर्ते कि धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट अपराध की जांच पुलिस अधीक्षक के पद से कम के पुलिस अधिकारी के आदेश के बिना नहीं की जाएगी। "

/

7. राज्य के विद्वान वकील ने 24 मई, 2008 के सरकारी आदेश संख्या 3168 का उल्लेख किया, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री के. संपत कुमार को 31 मई, 2008 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।पुनर्नियुक्ति के इस तरह के आदेश का नवीनीकरण 5 मार्च, 2009 को किया गया था; 13 मई, 2010 और 30 मई, 2011 को, प्रत्येक ने पुनर्नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया।9 नवंबर, 2011 को संयुक्त निदेशक, सी. आई. यू. और एस. ई. एस., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सी. एच. सुधाकर, डीएसपी करेंगे पंजीकरण

/

अभियुक्त अधिकारी के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत मामला और अभियुक्त अधिकारी या अभियुक्त अधिकारी के मामलों से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी परिसर, बैंकर की पुस्तकों का निरीक्षण करना और जांच के उद्देश्य से उससे संबंधित प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां लेना या लेना।इस तरह के प्राधिकरण के अनुसरण में ही प्राथमिकी दर्ज की गई, परिसरों की तलाशी ली गई और आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया।8. उच्च न्यायालय ने संघ के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा किया

/

लोक सेवा आयुक्त बनाम गिरीश जयंती लाल वाघेला और अन्य। **4.**

यह अभिनिर्धारित करना कि वैधानिक नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुपालन के बिना सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की अनुमति नहीं देते हैं।एक व्यक्ति जिसे छह महीने की छोटी अवधि के लिए या एक नियमित चयनकर्ता की उपलब्धता तक नियुक्त किया गया था, जो भी पहले हो, व्यावहारिक रूप से अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है और उसे सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष वापस किएः

/

"21. यह न तो अनुरोध किया गया है और न ही यह दिखाने के लिए कोई सामग्री है कि प्रतिवादी 1 की नियुक्ति सार्वजनिक विज्ञापन जारी करने के बाद की गई थी या केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में औषधि निरीक्षकों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अधिकृत निकाय ने उसका चयन किया था।छह महीने के लिए उनकी संविदात्मक नियुक्ति नियमों की अवहेलना थी।यह नियुक्ति ऐसे तरीके से नहीं की गई थी जिसे संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुरूप भी कहा जा सके।नियुक्ति विशुद्ध रूप से संविदात्मक होने के कारण, सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने का चरण नहीं आया था।एक संविदात्मक कर्मचारी के रूप में काम करते समय प्रतिवादी 1 ड्रग्स इंस्पेक्टर पर लागू प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा शासित नहीं था।उन्हें आकस्मिक या अर्जित अवकाश का लाभ उठाने का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था।वह सामान्य भविष्य निधि का लाभ उठाने का हकदार नहीं था और न ही वह किसी पेंशन का हकदार था जो सरकारी सेवा की सामान्य घटनाएँ हैं।इसी तरह, उन्हें न तो निलंबन के अंतर्गत रखा जा सकता था जो उन्हें निलंबन भत्ता का हकदार बनाता था और न

ही उनका स्थानांतरण किया जा सकता था।सरकारी सेवा में रहने के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकने वाले कुछ मामूली दंड उस पर नहीं लगाए जा सकते थे और न ही वह अनुच्छेद 311 के अंतर्गत किसी भी सुरक्षा का हकदार था।

/

/

/

/

4 (2006) 2 एससीसी 482 ए

/

727

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

संविधान से।इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह मानना संभव नहीं है कि प्रतिवादी 1 एक सरकारी कर्मचारी था। "

9. हम तर्क और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में स्पष्ट रूप से अवैधता पाते हैं। गिरीश जयंती लाल वाघेला एक ऐसा मामला था जिसमें श्री वाघेला को एक निश्चित वेतन पर अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था, जब तक कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर एक उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाता था।नियमित रूप से पद भरने के विज्ञापन में सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में पांच साल की छूट पर विचार किया गया था।उन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए सरकारी कर्मचारी होने के नाते आयु में छूट का दावा किया।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह एक अनुबंध था जो उनकी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करता था, न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत विरचित गए नियमों को, जितना कि उन्हें नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था और इस प्रकार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु में किसी भी छूट के लिए पात्र नहीं था।

/

/

/

10. संविधान के अनुच्छेद 310 में विचार किया गया है कि स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या संघ के अंतर्गत रक्षा या किसी नागरिक पद से जुड़ा कोई पद रखता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है।हालाँकि, राज्य सेवाओं के संबंध में, वह राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करता है।वर्तमान मामले में, श्री के. संपत कुमार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था।किसी भी सेवा नियम में कोई निषेध नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है जो कभी केंद्र या राज्य की सिविल सेवा में था।

/

/

11. राज्य सूची की सूची II की प्रविष्टि 2 पुलिस (रेलवे और ग्राम पुलिस सहित) है जो सूची I की प्रविष्टि 2 ए के प्रावधानों के अधीन है। इसलिए, राज्य में पुलिसिंग के विभिन्न पहलू राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं और एक सेवानिवृत्त कर्मी जो भारतीय पुलिस सेवा का सदस्य था, उसकी पुनर्नियुक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है।एक पुनर्नियुक्त अधिकारी के रूप में, वह एक सिविल पद पर थे क्योंकि उनका वेतन राज्य के राजकोष से दिया जा रहा था।वह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे।

/

/

12. पी**.** एच**.** पॉल मनोज पांडियन बनाम पी**.** वेलदुराई **5** में यह कहा गया है कि

अभिनिर्धारित किया कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ समरूप है अर्थात यदि राज्य विधानमंडल के पास किसी विषय के संबंध में विधि बनाने का अधिकार क्षेत्र है, तो राज्य कार्यपालिका विनियम बना सकती है और इसके संबंध में सरकारी आदेश जारी कर सकती है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

/

"48. कार्यपालिका की शक्तियाँ केवल कानूनों के पालन तक सीमित नहीं हैं।कल्याणकारी राज्य में कार्यपालिका के कार्य हमेशा व्यापक होते रहते हैं, जो उनके दायरे में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हैं।इसलिए, कार्यपालिका विभिन्न विभागीय आदेश जारी करके अंतराल को भरने की शक्ति का प्रयोग करती है।राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ समान है।दूसरे शब्दों में, यदि राज्य विधानमंडल

के पास किसी विषय के संबंध में विधि बनाने का अधिकार क्षेत्र है, तो राज्य कार्यपालिका विनियम बना सकती है और इसके संबंध में सरकारी आदेश जारी कर सकती है, हालांकि, संवैधानिक सीमाओं के अधीन।यदि विधायिका ने विषय के संबंध में कोई विधि बनाया है तो ऐसे प्रशासनिक नियम और/या आदेश निष्क्रिय होंगे।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने सरकारी आदेश दिनांक 1 को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि इसमें प्रशासनिक निर्देश हैं। "

/

/

/

13. विशंभर दयाल चंद्र मोहन और अन्य बनाम।राज्य

उत्तर प्रदेश और अन्य। 6, यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता है यदि यह संविधान या किसी विधि के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जाती है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“20. .....राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य [ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549:(1955) 2 एससीआर 225:1955 एस. सी. जे. 504] मुखर्जी, सी. जे. ने संविधान के अनुच्छेद 73 और 162 के दायरे पर चर्चा की।विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों में से किसी में भी इस बारे में कोई परिभाषा नहीं है कि कार्यकारी कार्य क्या है या उन गतिविधियों की विस्तृत गणना नहीं है जो वैध रूप से इसके दायरे में आती हैं।यह देखा गयाः“आम तौर पर कार्यकारी शक्ति उन सरकारी कार्यों के अवशेष को संदर्भित करती है जो विधायी और न्यायिक कार्यों के बाद रहते हैं।

/

/

5 (2011) 5 एससीसी 214 6 (1982) 1 एससीसी 39 ए

/

कार्यों को हटा दिया जाता है।” कार्यकारी कार्यों के प्रकारों और श्रेणियों की विस्तृत गणना करना न तो आवश्यक है और न ही संभव है, जिसमें नीति के निर्माण के साथ-साथ इसके निष्पादन दोनों शामिल हो सकते हैं।दूसरे शब्दों में, राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन को चलाने का कर्तव्य और जिम्मेदारी सौंपी जाती है।जब तक राज्य

सरकार संविधान या किसी विधि के प्रावधानों के खिलाफ नहीं जाती है, तब तक इसकी कार्यकारी शक्ति की चौड़ाई और विस्तार को सीमित नहीं किया जा सकता है।यदि किसी विशेष पहलू को शामिल करने वाला कोई अधिनियम नहीं है, तो निश्चित रूप से सरकार प्रशासनिक निर्देश या निर्देश जारी करके प्रशासन चला सकती है, जब तक कि विधायिका उस संबंध में कोई विधि नहीं बनाती।अन्यथा प्रशासन ठप पड़ जाएगा। "14. श्री के. संपत कुमार को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद शुरू में एक साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था।उन्हें पहली बार किसी सिविल पद पर नियुक्त नहीं किया जा रहा था जो संविधान के अनुच्छेद 16 के कठोर अनुपालन की गारंटी दे सकता है।जब उन्हें नियुक्त किया गया था और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले उन्होंने सभी पुलों को पार कर लिया था।राज्य द्वारा इस तरह का पुनर्नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग है।राज्य की ऐसी कार्यकारी शक्तियाँ किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती हैं; इसलिए, इस संबंध में पुनः नियोजन वैधानिक नियमों और विनियमों का पूरक है और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है।इसलिए, श्री के. संपत कुमार ने राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन किया है।

/

/

/

/

15. हम आगे पाते हैं कि श्री के. संपत कुमार के भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किए गए कार्य लोक हित में कल्पित आधिकारिक प्राधिकरण के दायरे में थे, न कि उनके अपने लाभ के लिए।इसलिए, अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए कार्यों को वैध माना जाएगा।इस न्यायालय ने एक निर्णय में

/

गोकाराजू रंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **7** के रूप में रिपोर्ट किया गया

/

निम्नानुसारः“17. इसलिए, वास्तव में, एक न्यायाधीश वह होता है जो केवल घुसपैठिया या हड़पने वाला नहीं होता है, बल्कि वह होता है जो वैध अधिकार के अंतर्गत पद धारण करता है, हालांकि उसकी नियुक्ति दोषपूर्ण है और बाद में हो सकती है।

7 (1981) 3 एससीसी 132

/

/

[2019] 14 एस सी आर।

दोषपूर्ण पाया गया।पद के लिए उनके शीर्षक में जो भी दोष हो, उनके द्वारा सुनाए गए निर्णय और उनके द्वारा किए गए कार्य, जब वे कार्यालय की शक्तियों और कार्यों के साथ पहने हुए थे, भले ही गैर-कानूनी रूप से, वही प्रभावकारिता रखते हैं जो एक न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय और किए गए कार्य होते हैं।अनावश्यक भ्रम और अंतहीन शरारत को रोकने के लिए आवश्यकता और सार्वजनिक नीति से पैदा हुआ यह वास्तविक सिद्धांत है।

/

19. हमारे विचार में, वास्तविक सिद्धांत आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर श्री फड़के की दलीलों का जवाब देता है।जिन न्यायाधीशों ने एक मामले में अपील को खारिज कर दिया और दूसरे मामले में आरोपी को दोषी ठहराया, वे केवल हड़पने वाले या घुसपैठिये नहीं थे, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैध अधिकार के अंतर्गत न्यायाधीशों के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन किया।हम उस पद के बारे में चिंतित हैं जो न्यायाधीशों के पास होना चाहिए था।हम कार्यालय के विशेष अधिकारियों से चिंतित नहीं हैं।जब तक पद वैध रूप से बनाया गया था, तब तक यह मायने नहीं रखता कि पदधारी को वैध रूप से नियुक्त नहीं किया गया था।सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति सत्र न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा और उसके निर्णय और आदेश सत्र न्यायालय के होंगे।वे सत्र न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के रूप में वैध बने रहेंगे, इसके बावजूद कि ऐसे न्यायालय में उनकी नियुक्ति को अमान्य घोषित किया जा सकता है।केवल इसी कारण से, यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।यदि स्वयं न्यायालय के संविधान अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो यह एक अलग मामला होगा।हम तत्काल मामलों में ऐसी स्थिति से चिंतित नहीं हैं। इसलिए, हम विद्वान वकील की किसी भी प्रस्तुति में कोई बल नहीं पाते हैं। "

/

/

/

/

16. उपरोक्त निर्णय पुलिन बिहारी दास बनाम राजा सम्राट 8 पर निर्भर करता है, जिसमें न्यायमूर्ति मुखर्जी ने निम्नलिखित निर्णय दिया:- “यह सिद्धांत कि अधिकारियों के कार्य वास्तव में उनके द्वारा उनके अनुमान के दायरे में किए गए थे???अपने स्वयं के लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता या तीसरे व्यक्तियों के हित में प्राधिकरण आम तौर पर उतने ही वैध और

बाध्यकारी होते हैं जैसे कि वे वर्ष-पुस्तकों के रूप में न्यायिक अधिकारियों के कार्य थे, और बिना किसी योग्यता या अपवाद के इसकी पुष्टि की जाती है।

/

8 1911 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 159:(1911-12) 16 सीडब्ल्यूएन 1105 ए

/

731

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

निर्णयों की एक लंबी कतार द्वारा।वाइनर का कहना है कि "एक अधिकारी द्वारा किए गए कार्य वास्तविक रूप से अच्छे हैं न कि न्यायिक रूप से, क्योंकि विधि एक अस्वीकृत प्राधिकरण में एक व्यक्ति का पक्ष लेता है" (एब्रिजमेंट, टिट। अधिकारी और अधिकारी जी. 4)।वास्तव में वास्तविक सिद्धांत के अनुप्रयोग से जुड़े मामलों में निर्धारण का प्रश्न, एक नियम के रूप में, यह नहीं है कि क्या चुनौती दिए गए कार्य, अधिकारी को वास्तविक मानते हुए, वैध हैं, लेकिन क्या वह व्यक्ति जिसके शीर्षक पर प्रश्न उठाया जाता है वह वास्तव में एक वास्तविक अधिकारी है या नहीं।

/

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उन सभी योग्यताओं या सीमाओं की पूरी तरह से जांच करें जिनके अधीन वास्तविक सिद्धांत को लागू किया जाना है।इस मामले का सार यह है कि वास्तविक सिद्धांत को विधि में नीति और आवश्यकता के मामले के रूप में पेश किया गया था, ताकि जनता और व्यक्ति के हितों की रक्षा की जा सके, जहां वे हित वैध अधिकारी हुए बिना किसी पद के कर्तव्यों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के आधिकारिक कार्यों में शामिल थे।वास्तव में विधि की सर्वोच्चता बनाए रखने और बड़े पैमाने पर समुदाय में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सिद्धांत आवश्यक है।वास्तव में, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को उनकी इच्छा पर राज्य सरकार के अधिकार को और उन कई अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता को चुनौती देने और अस्वीकार करने की अनुमति दी गई थी, जिनके माध्यम से यह अनियमित अस्तित्व या दोषपूर्ण शीर्षक के आधार पर अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करता था, तो सबसे खराब प्रकार की अवज्ञा और अव्यवस्था को प्रोत्साहित

किया जाएगा।समाज की अच्छी व्यवस्था और शांति के लिए उनके अधिकार को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए जब तक कि कुछ नियमित मोड में उनके शीर्षक की सीधे जांच और निर्धारण नहीं किया जाता है, [स्कैडिंग बनाम लॉरेंट में टिप्पणियों को देखें]???]और नॉर्टन बनाम शेल्बी काउंटी [118 यू. एस. 425 (1886)]अब हमारे समक्ष मामले में, धारा के अंतर्गत मंजूरी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 को वास्तविक स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया था और मामले का संज्ञान वास्तविक सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया गया है।मेरी राय में, अपीलकर्ताओं के लिए यह खुला नहीं है कि वे इस आरोप पर दोषसिद्धि की वैधता पर संपार्श्विक रूप से प्रश्न उठा सकें कि स्थानीय सरकार का गठन अनियमित रूप से किया गया था और सत्र न्यायाधीश को अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था।जिस पहले आधार पर मुकदमे की वैधता पर हमला किया जाता है, उसे परिणामस्वरूप खारिज कर दिया जाना चाहिए। "

/

/

/

/

/

/

732

/

[2019] 14 एस सी आर।

17. ऊपर वर्णित वास्तविक सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया है, यहां तक कि एक कार्यकारी नियुक्ति के संदर्भ में,

पुष्पादेवी एम. जटिया बनाम एम. एल. वधावन, अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। 9.इस मामले में,

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव ने मोहनलाल जटिया को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत एक सरकारी आदेश के माध्यम से हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्हें यह संतुष्ट किया गया था कि उन्हें हिरासत में लेना आवश्यक था।इसमें, अतिरिक्त सचिव ने एक आर. सी. सिंह द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा किया, जिसके बारे में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि वह एफ. ई. आर. ए. के अंतर्गत प्रवर्तन का "राजपत्रित अधिकारी" नहीं था, और इसलिए अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर उसे हिरासत में लेने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था।इस पर चर्चा

की गई:“17. किसी भी स्थिति में, विद्वान वकील आगे तर्क देते हैं कि आर. सी. सिंह को पद का प्रतीक चिन्ह पहनाया गया था और वह एफ. ई. आर. ए. की धारा 40 (1) के अंतर्गत प्रवर्तन के राजपत्रित अधिकारी के कार्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेत थे और इसलिए वास्तविक सिद्धांत आकर्षित किया गया था।वह गोकाराजू रंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(1981) 3 एस. सी. सी. 132 में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करता है:1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 652:(1981) 3 एस. सी. आर. 474] अनावश्यक भ्रम और अंतहीन शरारत को रोकने के लिए आवश्यकता और सार्वजनिक नीति से पैदा हुए वास्तविक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए।दूसरे शब्दों में, वह तर्क देते हैं कि जहां एक अधिकारी विधि के अंतर्गत कार्य करता है, यह मायने नहीं रखता है कि जहां तक उसके कृत्यों की वैधता का संबंध है, पदधारी की नियुक्ति कैसे की जाती है।

/

/

/

/

18. हमारा विचार है कि इस अधिकार क्षेत्र में अधिकारियों के कार्यों में नियमितता का अनुमान है और जो इसके विपरीत दावा करता है, उस पर साक्ष्य का बोझ है।यह तर्क कि आर. सी. सिंह एफ. ई. आर. ए. की धारा 40 (1) के अर्थ में प्रवर्तन के राजपत्रित अधिकारी नहीं थे, एक विचार के अलावा पूरी तरह से गलत प्रतीत होता है।आर. सी. सिंह की इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

/

/

20. ... जहाँ तक उसके कृत्यों की वैधता का संबंध है, वहाँ विधि के अंतर्गत कोई पद मौजूद है, यह मायने नहीं रखता कि पदधारी की नियुक्ति कैसे की जाती है।यह काफी है कि वह कपड़े पहने हुए है

9 (1987) 3 एससीसी 367 ए

/

733

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

कार्यालय का प्रतीक चिन्ह, और अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है।ऐसे व्यक्तियों के आधिकारिक कार्यों को अनावश्यक भ्रम और अंतहीन शरारत को रोकने के लिए आवश्यकता और सार्वजनिक नीति से पैदा हुए वास्तविक सिद्धांत के अंतर्गत मान्य माना जाता है।गोकाराजू रंगराजू मामले में [(1981) 3 एस. सी. सी. 132:1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 652:(1981) 3 एस. सी. आर. 474] जे. चिन्नाप्पा रेड्डी ने समझाया कि इस सिद्धांत को जनता के हितों की रक्षा के लिए नीति और आवश्यकता के रूप में शामिल किया गया था। "

/

18. इसके अलावा, केरल उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने एक निर्णय में

पी**.** एस**.** मेनन बनाम केरल राज्य **10** के रूप में सूचित किया गया कि वास्तविक

सिद्धांत को जनता के साथ-साथ एक अधिकारी के कर्तव्य का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की आधिकारिक क्षमता में शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए नीति और आवश्यकता के मामले के रूप में शामिल किया गया था, जो वास्तव में विधि के सख्त बिंदु में एक नहीं थे।ये अधिकारी भले ही न्यायिक अधिकारी न हों, लेकिन विशेष परिस्थितियों के आधार पर, उनके कार्यों को सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में वैध माना जाना चाहिए।

/

/

19. एक अन्य डिवीजन बेंच में न्यायाधीश ने पी के रूप में रिपोर्ट किया।

महामनी बनाम तमिलनाडु मैग्नेसाइट**,** लिमिटेड**,** सलेम और अन्य। **11,** द

मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:"12. एक अधिकारी वास्तविक रूप से वह होता है जो किसी रंग या अधिकार से एक कार्यालय के कब्जे में होता है और कुछ समय के लिए सार्वजनिक सहमति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, हालांकि वास्तव में उसका कोई अधिकार नहीं होता है।जबकि एक घुसपैठिया वह है जो विधि के अधिकार के बिना और सार्वजनिक सहमति के समर्थन के बिना एक कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता है।घुसपैठिये के कृत्यों अंतर्गत पहचानने या उनका सम्मान करने के लिए अंतर्गत ई भी बाध्य नहीं है, और सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए वे पूरी तरह से अमान्य हैं।लेकिन व्यवस्था और नियमितता के लिए, और सार्वजनिक व्यवसाय के संचालन और निजी अधिकारों की सुरक्षा में भ्रम को रोकने के लिए, कानूनी अधिकार की कमी के कारण अधिकारियों के कृत्यों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि इस उद्देश्य के लिए कुछ प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू की गई हो।अन्य सभी मामलों में एक अधिकारी के कार्य उतने ही वैध और प्रभावी होते हैं, जबकि उसे पद बनाए रखने के लिए पीड़ित किया जाता है जैसे कि वह अधिकार से एक अधिकारी था, और जनता और तीसरे की सुरक्षा के लिए उनसे वही कानूनी परिणाम निकलेंगे।

/

/

/

10 आकाशवाणी 1970 केर 165 11 (1993) 2 एल. एल. एन. 353

/

734

/

[2019] 14 एस सी आर।

पार्टियाँ।एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कानूनी उक्ति में संक्षिप्त अभिव्यक्ति पाता है कि वास्तविक अधिकारियों के कार्यों पर संपार्श्विक रूप से सवाल नहीं उठाया जा सकता है।एक व्यक्ति अपने पदनाम का हकदार हो सकता है, हालांकि वह पद का सच्चा और सही पदधारी नहीं है, फिर भी वह अब हड़पने वाला नहीं है, लेकिन इसे वैध अधिकार के रंग अंतर्गत रखता है।वास्तविक सिद्धांत को विधि में नीति और आवश्यकता के मामले के रूप में पेश किया गया था, ताकि जनता और व्यक्ति के हितों की रक्षा की जा सके, जहां ये हित वैध अधिकारी हुए बिना किसी कार्यालय के कर्तव्यों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के आधिकारिक कार्य में शामिल थे।वास्तव में यह सिद्धांत विधि की सर्वोच्चता बनाए रखने और बड़े पैमाने पर समुदाय में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।वास्तव में, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुमति दी जाती है, तो उसकी इच्छा पर, राज्य सरकार के अधिकार को और उन कई अधिकारियों की आज्ञाकारिता को चुनौती दी जाएगी जिनके माध्यम से उसने दोषपूर्ण शीर्षक अवज्ञा और सबसे खराब प्रकार की अव्यवस्था के अनियमित अस्तित्व के आधार पर अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग किया।समाज की अच्छी व्यवस्था और शांति के लिए, उनके अधिकार को तब तक बनाए रखा जाना चाहिए जब तक कि किसी नियमित तरीके से उनके अधिकार की सीधे जांच और निर्धारण नहीं किया जाता है।जब कोई वैध अधिकार के अंतर्गत पद धारण करता है, तो कार्यालय में उसके शीर्षक का जो भी दोष हो, उसके द्वारा किए गए कार्य जब वह कार्यालय की शक्तियों और कार्यों के साथ पहने हुए थे, भले ही अवैध रूप से, एक अधिकारी द्वारा किए गए समान प्रभाव और कार्य होते हैं।एक वास्तविक अधिकारी की दोषपूर्ण नियुक्ति पर सीधे कार्यवाही में सवाल उठाया जा सकता है, जिसमें वह एक पक्षकार हो सकता है, लेकिन दो निजी वादियों के बीच मुकदमे में इस पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, एक ऐसा मुकदमा जिसका संबंधित अधिकारी के लिए कोई सरोकार या परिणाम नहीं है।इसलिए रिट याचिकाकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि दूसरे प्रतिवादी श्री माधवन नायर को निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करने का कोई अधिकार नहीं था, जिसमें उन्हें निलंबन के अंतर्गत रखने और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया गया था। "

/

/

/

/

/

/

20. हाल ही में सुप्रीम न्यायालय के एक निर्णय में डी फैक्टो सिद्धांत को फिर से दोहराया गया था, जिसे वीरेंद्र कुमार गौतम और

ओआरएस**.** वी**.**करुणा निधान उपाध्याय और अन्य। **12.**

/

12 (2016) 14 एससीसी 18 ए

735

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

21. इसलिए, हम पाते हैं कि श्री के. संपत कुमार राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।सीएच के पक्ष में प्राधिकरण। सुधाकर को तब जारी किया गया था जब वह अपने कर्तव्यों का पालन जनहित में कर रहे थे न कि अपने लाभ के लिए।इसलिए, इस तरह का प्राधिकरण वैध और बाध्यकारी है जैसे कि यह एक न्यायिक अधिकारी का कार्य था।

/

22. हम आगे पाते हैं कि उच्च न्यायालय , संहिता की धारा 482 के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक याचिका पर निर्णय लेते समय, श्री के. संपत कुमार की नियुक्ति की प्रकृति पर टिप्पणी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा प्रश्न उपरोक्त याचिका पर निर्णय लेते समय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

/

23. श्री के. संपत कुमार ने सीएच को अधिकृत किया है। सुधाकर और अंतिम रिपोर्ट अधिनियम की धारा 17 के खंड (सी) के संदर्भ में सुधाकर द्वारा की गई जांच के बाद दायर की गई थी। इस संबंध में, यह नहीं कहा जा सकता है कि जांच उस तरीके से नहीं की गई थी जिस पर विधि के अंतर्गत विचार किया गया था।इस प्रकार, च। सुधाकर एक अधिकृत अधिकारी थे,

जो अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के अंतर्गत अपराध सहित अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच करने और रिपोर्ट दायर करने में सक्षम थे।

/

24. उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज एक अन्य निष्कर्ष यह है कि सूचना देने वाला जांच अधिकारी नहीं हो सकता है।इस तरह की खोज सीएच पर आधारित है। सुधाकर सूचना देने वाले और जाँच शुरू करने वाले दोनों हैं।उच्च न्यायालय मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य 13 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय से समर्थन प्राप्त करता है, जिसमें कहा गया है कि एक निष्पक्ष जांच निष्पक्ष मुकदमे की नींव है, जो आवश्यक रूप से यह मानता है कि सूचना देने वाला और जांचकर्ता एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहिए।

/

/

25. हालाँकि, उक्त निर्णय को वरिंदर कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 14 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में संभावित माना गया है, जिसमें इस न्यायालय ने संक्षेप में कहा है:

“18. आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को केवल अपराधी के लाभ के लिए परिवर्तित करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है, जिससे यह एक दिशात्मक अभ्यास बन जाए।आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली के एक उचित प्रशासन के लिए, इसलिए अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, ताकि मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित विधि को बरी करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड बनने की अनुज्ञात न दी जाए।

/

13 (2018) 17 एस. सी. सी. 627

/

14 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 170

उसी से पहले के अभियोजनों में, अन्य सभी विचारों के बावजूद।इसलिए हम मानते हैं कि मोहन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित विधि से पहले सभी लंबित आपराधिक अभियोजन, मुकदमे और अपील मामले के व्यक्तिगत तथ्यों द्वारा नियंत्रित किए जाते रहेंगे। "

26. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियुक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पोषणीय नहीं हैं और परिणामस्वरूप, उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तदनुसार, राज्य द्वारा दायर अपील को अनुज्ञात जाती है और मामले को विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए विद्वान निचली विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।

/

27. अभियुक्त अधिकारी द्वारा दायर अपील पर आते हुए, श्री गुरु कृष्ण कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोरदार तर्क दिया कि अपराध दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य है।ललिता कुमारी बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय का संदर्भ दिया गया था।

/

उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य। 15 के साथ-साथ कर्नाटक लोकायुक्ता पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु बनाम एम. आर. हीरेमथ 16 द्वारा राज्य के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णय ।

/

28. ललिता कुमारी के मामले में, न्यायालय ने उन मामलों को निर्धारित किया है जिनमें प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से, ताकि किसी आरोपी के पक्ष में कोई अधिकार सौंपने के बजाय विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचा जा सके।इसमें यह तर्क दिया गया था कि यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी आरोप की सत्यता के बारे में संदेह है, तो उसे प्रारंभिक जांच करनी होगी और कुछ उचित मामलों में, ऐसे अधिकारी के लिए, संज्ञेय अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, खुद को संतुष्ट करना उचित होगा कि शिकायत में आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया विश्वसनीय हैं।यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:-

/

/

“73. संहिता की धारा 154 में उपयोग की गई भाषा के संदर्भ में, पुलिस का कर्तव्य है कि वह ऐसे अपराध के बारे में जानकारी (यानी एफ. आई. आर.) प्राप्त किए बिना भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए आगे बढ़े, यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अन्यथा इस तरह के अपराध के होने का संदेह है।इसलिए विधायी इरादा काफी स्पष्ट है, यानी यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध की विधि के अनुसार तुरंत जांच की जाए।यह कानूनी स्थिति होने के कारण, कोई कारण नहीं है कि कोई विवेक या विकल्प बचा होना चाहिए

/

15 (2014) 2 एससीसी 1 16 (2019) 7 एससीसी 515 ए

/

जब किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी दी जाती है तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज करे या न करे।प्रत्येक संज्ञेय अपराध की विधि के अनुसार तुरंत जांच की जानी चाहिए और संज्ञेय अपराध के बारे में संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रदान की गई सभी जानकारी को प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि अपराध शुरू किया जा सके।संहिता की धारा 154 की आवश्यकता केवल यह है कि रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा होना चाहिए और यह जांच तंत्र को कार्रवाई में लाने के लिए पर्याप्त है। "

/

29. न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

/

“111. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं:i) संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

/

(ii) यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

/

(iii) यदि जाँच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो एफ़. आई. आर. दर्ज की जानी चाहिए।ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह के समापन की प्रविष्टि की एक प्रति पहले सूचना देने वाले को तुरंत और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए।उसे शिकायत को बंद करने और आगे नहीं बढ़ने के कारणों का संक्षिप्त में खुलासा करना चाहिए।

/

iv) यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया जाता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है।गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं यदि उनके द्वारा प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

/

v) प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, लेकिन

/

केवल यह पता लगाने के लिए कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

vi) किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार हैः क) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

/

ख) वाणिज्यिक अपराध

ग) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले

/

(घ) भ्रष्टाचार के मामले। "

30. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि सभी मामलों में प्रारंभिक जांच आवश्यक है।वैवाहिक विवादों/पारिवारिक विवादों, व्यावसायिक अपराधों, चिकित्सा लापरवाही के मामलों, भ्रष्टाचार के मामलों आदि से संबंधित प्रारंभिक जांच की जा सकती है। ललिता कुमारी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि प्रारंभिक जांच किए बिना किसी आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

/

31. एम. आर. हीरेमथ में, इस न्यायालय ने संहिता की धारा 239 के अंतर्गत आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन पर एक आदेश को इस कारण से रद्द कर दिया कि जासूसी कैमरे के

साक्ष्य पर भरोसा करते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।एक तर्क दिया गया कि जासूसी कैमरा जांच अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से जांच शुरू होने से पहले ही दे दिया गया है।इस तथ्य के आधार पर, अभियुक्त अधिकारी के विद्वान वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार ने तर्क दिया कि प्रारंभिक जांच किए बिना प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी।एम. आर. हीरेमथ के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि जब जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता को जासूसी कैमरा सौंप दिया था, तो इसका उद्देश्य प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता लगाना था कि क्या शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी प्राथमिकी दर्ज करने का आधार बन सकती है। यह पता लगाने के लिए कि क्या जानकारी से संज्ञेय अपराध का पता चला है, इसे प्रारंभिक जांच माना गया था।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः“23. वर्तमान मामले में, 15-11-2016 पर, शिकायतकर्ता पर प्रतिवादी से मिलने का आरोप है।बैठक के दौरान, एक बातचीत एक जासूसी कैमरे में रिकॉर्ड की गई थी।इससे पहले जांच अधिकारी ने जासूसी कैमरा ए को सौंप दिया था

/

/

/

/

739

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.] ए.

शिकायतकर्ता।यह चरण जांच की शुरुआत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।उस स्तर पर, प्रारंभिक जांच के दौरान, यह पता लगाना था कि क्या शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आधार बनेगी।दूसरे शब्दों में, 15-11-2012 पर किए गए अभ्यास का उद्देश्य यह पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक जांच थी कि क्या जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। "

/

32. उक्त निर्णय अभियुक्त अधिकारी के विद्वान वकील की मदद नहीं करता है।एफ. आई. आर. दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का दायरा और दायरा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।कोई निर्धारित प्रारूप या तरीका नहीं है जिसमें प्रारंभिक जांच की जानी है।इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि एक तुच्छ और असमर्थनीय शिकायत पर आपराधिक जांच प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए।यही परीक्षा ललिता कुमारी में निर्धारित की गई है।

/

33. वर्तमान मामले में, एफ़. आई. आर. से ही पता चलता है कि एकत्र की गई जानकारी अभियुक्त अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति के संबंध में है।प्रारंभिक जाँच का उद्देश्य निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए पूरी तरह से तुच्छ और प्रेरित शिकायतों की जाँच करना है।इसमें, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले प्रथम दृष्टया आरोपों के संबंध में सूचना देने वाले के पास प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध थी।इसलिए, एक बार जब प्राथमिकी दर्ज करने वाला अधिकारी इस तरह के प्रकटीकरण से संतुष्ट हो जाता है, तो वह आरोपी के खिलाफ बिना किसी जांच के या उसके द्वारा प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर किसी अन्य तरीके से भी आगे बढ़ सकता है।यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रारंभिक जांच न किए जाने के कारण प्राथमिकी रद्द की जा सकती है।ऐसा तभी किया जा सकता है जब एफ. आई. आर. की संपूर्णता को पढ़ने पर, किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है।इस संबंध में हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल 17 के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, वहां प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं माना जाता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाया जाता है और यह भी कि जहां एक आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोपी से बदला लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की जाती है और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से की जाती है।

/

/

/

/

17 1992 सप्लीमेंट (1) एससीसी 335

/

740

/

[2019] 14 एस सी आर।

34. इसलिए, हमारा मानना है कि ललिता कुमारी में आवश्यक प्रारंभिक जांच भ्रष्टाचार के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।इस न्यायालय द्वारा कई उदाहरणों में यह दोहराया गया है कि की जाने वाली प्रारंभिक जांच का प्रकार प्रत्येक मामले के

तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।ऐसे कोई निश्चित मानदंड नहीं हैं जिन पर इस तरह की जांच की जा सकती है।इसलिए, एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि के लिए संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली जानकारी का कोई भी औपचारिक और अनौपचारिक संग्रह पर्याप्त है।

/

35. हम इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि रिपोर्ट दाखिल करने से पहले कोई मंजूरी नहीं दी गई है।अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान मंजूरी प्रस्तुत की जा सकती है, इसलिए अभियुक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है।डी. एस. पी. 18 द्वारा के. कलिमुथु बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

/

"15. संहिता की धारा 197 के अंतर्गत मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित प्रश्न पर शिकायत दर्ज होते ही और उसमें निहित आरोपों पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं है।यह प्रश्न कार्यवाही के किसी भी चरण में उत्पन्न हो सकता है।यह प्रश्न कि क्या मंजूरी आवश्यक है या नहीं, एक चरण से दूसरे चरण में निर्धारित किया जा सकता है।

/

36. उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है क्योंकि जांच एजेंसी ने जानबूझकर आरोपी अधिकारी की सेवानिवृत्ति तक इंतजार किया था।यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त अधिकारी, एक सेवानिवृत्त लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है, एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जाँच मुकदमे के दौरान की जा सकती है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा के. कलिमुथु में अभिनिर्धारित किया गया है।वास्तव में, विनोद कुमार गर्ग बनाम मामले में हाल के एक निर्णय में।

/

/

राज्य **(**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार**) 19,** यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत आवश्यक रैंक और स्थिति के एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी, तो ऐसी चूक एक अनियमितता होगी, हालांकि जब तक कि इस तरह की अनियमितता के परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है, तब तक दोषसिद्धि दूषित नहीं होगी या विधि में खराब नहीं होगी।इसलिए, मंजूरी की कमी को कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं पाया गया।

/

37. श्री गुरु कृष्ण कुमार आगे एम. सुंदरराजन बनाम राज्य मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एकल पीठ के निर्णय का उल्लेख करते हैं।

18 (2005) 4 एस. सी. सी. 512

/

19 2009 की आपराधिक अपील संख्या 1781 का 27 नवंबर, 2019 को निर्णय लिया गया

741

तेलंगाना राज्य बनाम श्री नागीपेट @

मंगिपेट सर्वेश्वर रेड्डी [हेमंत गुप्ता, जे.]

पुलिस उपाधीक्षक**,** सतर्कता और एंटी के माध्यम से

भ्रष्टाचार, रामनाथपुरम 20 ने तर्क दिया कि 2018 के अधिनियम XVI द्वारा संशोधित अधिनियम के संशोधित प्रावधान लागू होंगे क्योंकि संशोधन अधिनियम आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लागू हुआ था।हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।उपरोक्त मामले में, विद्वत निचली विचारण न्यायालय ने अधिनियम में संशोधित प्रावधानों को लागू किया जो 26 जुलाई, 2018 को लागू हुए और दोनों अभियुक्तों को अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) के साथ 13 (2) के अंतर्गत आरोप से बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम के संशोधित प्रावधानों को लागू करने का निचली विचारण न्यायालय का आदेश उचित नहीं था और यह देखते हुए मामले को वापस भेज दिया कि अपराध संशोधन किए जाने से पहले किए गए थे। वर्तमान मामले में, वर्ष 2018 में अधिनियम में संशोधन से बहुत पहले 9 नवंबर, 2011 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।26 जुलाई, 2018 को किए गए संशोधन से पहले कानून के प्रावधानों के आलोक में कोई अपराध किया गया है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए।

/

/

38. इसे देखते हुए, हम अभियुक्त अधिकारी द्वारा उठाए गए तर्कों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।अभियुक्त अधिकारी द्वारा उठाई गई दलीलों को अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को रद्द करने में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, अभियुक्त अधिकारी द्वारा दायर 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1663 को खारिज कर दिया जाता है, जबकि राज्य द्वारा दायर 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1662 को अनुमति दी जाती है।

/

/

अपीलों का निपटारा किया गया।

/

/

20 सीआरएल। ए. (एम. डी.) 2018 की सं. 488 और सी. आर. एल. एमपी. 2018 की (एम. डी.) संख्या 8712 पर 30 अक्टूबर, 2018 को निर्णय लिया गया।

/